अपील सूचना अधिकार संख्या 99/2019 (RCMS 2020/00262) गोविन्दनारायण पुत्र विश्वनाथ किराड़ू, निवासी कोठारी अस्पताल के सामने की गली, हरिओम मेडिकल स्टोर के पीछे, बीकानेर बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11.08.2020

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी गोविन्दनारायण उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने प्रभारी अधिकारी, वाचक शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक आवेदन पत्र दिनांक 26.09.2019 प्रस्तुत करके सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचना दिलवाने की प्रार्थना की है एवं राजकीय अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा राजकीय कार्य में कर्तव्यहीनता बरतने पर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की भी प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री गोविन्दनारायण ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 26.09.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थीः

> प्रार्थना पत्र गोविन्द नारायण किराडू द्वारा दिनांक 02.08.2019 को पंजीकृत डाक से श्रीमान शिव प्रसाद एम. नकाते भा.प्र.से जिला कलक्टर श्रीगंगानगर को दिया गया जिसकी प्रति प्रमुख शासन सचिव राजस्व विभाग राजस्थान जयपुर को दी गई, उक्त प्रार्थना पत्र मय संलग्नकों की छायाप्रति उपलब्ध करावें साथ ही उस प्रार्थना पत्र पर आपके कार्यालय के कार्मिकों द्वारा की गई कार्यवाही की सम्पूर्ण पत्रावली की नोटशीट व सम्बन्धित को गये पत्रों की छायाप्रतियां उपलब्ध करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:40:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

प्रभारी अधिकारी, वाचक शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक सीजी/वाचक/19/1387 दिनांक 19.11.2019 से अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 04.11.2019 संलग्न मूल प्रार्थना पत्र दिनांक 26.09.2020 लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर) के पत्रांक आर.टी.आई./90/2019/ 1051 दिनांक 14.11.2019 से दिनांक 15.11.2019 को प्राप्त हुआ, जिसकी सूचना आप निम्नानुसार राशि राजकोष में जमा करवाकर प्राप्त कर सकते है :

चाही गई सूचना	जवाब
प्रार्थना पत्र गोविन्द नारायण किराडू द्वारा दिनांक 02.08.2019 को पंजीकृत डाक से श्रीमान् शिव प्रसाद एम नकाते भा.प्र.से जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को दिया गया जिसकी प्रति प्रमुख शासन सचिव राजस्व विभाग राजस्थान जयपुर को दी गई, उक्त प्रार्थना पत्र मय संलग्नों की छाया प्रतियां उपलब्ध करावें साथ ही उस प्रार्थना पत्र पर आपके कार्यालय के लोक सेवकों के द्वारा की गई कार्यवाही की सम्पूर्ण पत्रावली की नोटशीट व सम्बन्धि[illegible] को लिखे गये पत्रों की छायाप्रति उपलब्ध करावें।	प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 02.08.2019 पर की गई कार्यवाही की नोटशीट के कुल दो पृष्ठ है। अतः प्रति पेज 2—/ के अनुसार कुल 4/— राजकोष में जमा करवाकर आप उक्त नोटशीट की नकल प्राप्त कर सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:10:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

प्रभारी अधिकारी, वाचक शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक सीजी/वाचक/20/1139 दिनांक 11.09.2020 के द्वारा अपील का निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील का जवाब निम्नानुसार भिजवाया जा रहा है:

क्र. सं.	प्रार्थी के प्रार्थना पत्र	अपीलार्थी को भेजें गये पत्र
1	अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 29.05.19 से चार बिन्दुओ की सूचना चाही थी।	उक्त प्रार्थना पत्र के संदर्भ में प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक 575 दिनांक 18.06.2020 से राजकोष में 20 रूपये का शुल्क जमा करवाने हेतु समय सीमा में लिखा गया था।
2	अपीलार्थी ने इस कार्यालय के पंत्राक 575 दिनांक 18.06.2020 के संदर्भ मे अपने पत्र दिनांक 01.07. 2019 (प्राप्ति दिनांक 08.07.2019) से आईपीओ संख्या 41 एफ 517604 एवं 41 एफ 517605 के कुल 20 रूप्ये के पोस्टल आर्डर इस कार्यालय को भेजकर सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की	अपीलार्थी के पत्र दिनांक 01.07. 2019 (प्राप्ति दिनांक 08.07.2019) के संदर्भ में इस कार्यालय के पत्रांक 734 दिनांक 18.07.2019 से निश्चित समय सीमा में सूचना उपलब्ध करवा दी गई थी।
3	अपीलार्थी ने पत्र दिनांक 02.08. 2019 (प्राप्ति दिनांक 09.08.19) में आईपीओ संख्या 41 एफ 517604 एवं 41 एफ 517605 से जमा करवाये गये 20 रूपये की राशि वापिस लौटाये जाने की प्रार्थना की थी।	अपीलार्थी के पत्र दिनांक 02.08. 2019 (प्राप्ति दिनांक 09.08.19) के संदर्भ में इस कार्यालय के पत्रांक 942 दिनांक 27.08.2019 से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राशि लौटाने का कोई प्रावधान नहीं है, कि सूचना उपलब्ध करवा दी गई थी।
4	अपीलार्थी को मूल प्रार्थना पत्र दिनांक 26.09.2019 लोक सूचना अधिकारी के पत्रांक आर.टी. आई/90/2019/1051 दिनांक 14.11.19 से दिनांक 15.11.19 [illegible] प्राप्त हुआ ।	अपीलार्थी का पत्र दिनांक 26.09. 19 (प्राप्ति दिनांक 15.11.19) में चाही गई सूचना के संदर्भ में इस [illegible]य के पत्रांक 1387 दिनांक 19.1[illegible]19 से नकल प्राप्त करने [illegible] राजकोष में जमा [illegible] हेतु लिखा गया था, जो [illegible]लार्थी ने आदिनांक तक जमा नहीं करवाया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:10:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का उत्तर प्रभारी अधिकारी, वाचक शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर से समयावधि के दिया जा चुका है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो** और **प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है।** इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देंश नही दिये जा सकते सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए प्रभारी अधिकारी, वाचक शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को जो उत्तर दिया है, वह सही हैं, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं, इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:10.52 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी की अपील खारिज की जाती है आदेश की प्रति **प्रभारी अधिकारी, वाचक शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ** एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:10:52 IST
Reason: SelfAttested